प्रारूप–क

न्यायालय उपतहसीलदार विशाला, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 36 / 2025

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी बोला

सुमान खां पुत्र दिलबर खान
जाति–मुसलमान नि–तिरसिंगड़ी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस

अतः आपने कृषि वर्ष **2082** के दौरान ग्राम **तिरसिंगड़ी** उप–तहसील विशाला जिला बाड़मेर के खसरा नंबर **212 / 198** किस्म **बा.सोयम** जो कि कृषि भूमि / सिवायचक भूमि जो नाप में **0.161874 हैक्टेयर** भूमि पर अतिचार किया है।

इसके द्वारा आपका नोटिस दिया जाता हैं कि आप दिनांक **05.06.2025** से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक **05.06.2025** को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह इस **न्यायालय उपतहसीलदार विशाला** में हाजिर होवे तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहाँ से बेदखल क्यों न किया जावें। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त कृषि वर्ष के दौरान अतिचार करने के लिए आप पर वार्षिक लगान या निर्धारण के 50 गुणा तक भूमि की दर से शास्ति क्यों नही अधिरोपित की जावें।

और ध्यान रहे कि आपने इसी भूमि पर कृषि वर्ष – में भी अतिचार किया था। यह नोटिस आपको वर्ष में पश्चातवर्ती अतिचार करने के बाबत् दिया जा रहा हैं। आप यह हेतुक दर्शित करे कि आपकों तीन माह तक की अवधि के लिए क्यों नही सिविल कारागार को सुपुर्द कर दिया जाए तथा वार्षिक लगान या निर्धारण ज़ैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक कि शास्ति अधिरोपित की जावें।

यह भी ध्यान में रखें कि उक्त तारीख को समय को तथा स्थान पर हाज़िर होंने में आपको असफल होने / रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में विनिश्चय किया जाएगा।

यह नोटिस आज दिनांक **26.05.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप तहसीलदार विशाला जिला–बाड़मेर

उप तहसीलदार
विशाला